न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :— 2026/97

01. रेशमा देवी पुत्री श्री सुखाराम जाति बावरी निवासी चक 1 के.डब्ल्यू.एम.(बी) तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान हाल चक 9 के.डी. (ए) 10 के.डी. श्रीगंगानगर।

......

वादीया

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :—22.05.26

यह वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र/प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादीया के नाम से चक 1 के.डब्ल्यू.एम.(बी) के मुरब्बा नं. 77/59 में कुल 6.0695 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि में से 1/32 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि वादीया को जरिये विरास्तन प्राप्त हुई है। उक्त कृषि भूमि का विरास्तन दर्ज करते समय त्रुटीवश वादीया का नाम रोशनी पुत्र सुखाराम दर्ज हो गया। उक्त कृषि भूमि पर वादिया का कब्जा लगातार चलता आ रहा है। वादीया अनपढ़ है, इसलिए उसे गलत लिखे गये नाम का पता नहीं चला। वादीया उक्त कृषि भूमि के राजस्व संबंधी कार्यों हेतु पटवारी के पास गयी तो पटवारी ने बताया की आपका नाम रोशनी पुत्री सुखाराम अंकन है। वादीया ने अपना नाम जानबुझ कर रोशनी पुत्र सुखाराम अंकन नहीं करवाया है। लिपिकिय त्रुटीवश हो गया है। जिससे वादीया को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादीया के मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, ई श्रम कार्ड, राशन कार्ड में रेशमा देवी अंकन है। वादीया उक्त रकबा में राजस्व रिकार्ड में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर रोशनी पुत्र सुखाराम की जगह रेशमा देवी पुत्री सुखाराम की घोषणा व दुरूस्त करवाना चाहता है। अतः घोषणात्मक वाद पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि वादीया के नाम से चक 1 के.डब्ल्यू.एम.(बी) के मुरब्बा नं. 77/59 में कुल 6.0695 हैक्टेयर कमाण्ड की कृषि भूमि में से 1/32 हिस्से में रोशनी पुत्र सुखाराम के बजाय रेशमा देवी पुत्री सुखाराम की घोषणा कर दुरूस्त कर अंकन करने का आदेश फरमानें का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीया ने वादपत्र साबित करने के पक्ष में जमाबन्दी, पहचान पत्र, ई श्रम कार्ड, राशन कार्ड, इत्यादी की प्रति व सहखातेदारान शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त शपथपत्र में लिखा है कि प्रार्थीया को रेशमादेवी/रोशनी दोनो नामों से ही जाना पहचाना चाहता है एवं बहन का नाम दुरूस्त करने हेतु शपथपत्र तस्दीक कर रहा हूं। पत्रावली पर सुना गया। वादीया अधिवक्ता ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादीया का वादपत्र साक्ष्य—सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, शपथ पत्र का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 1 के.डब्ल्यु.एम. (बी) का मुरब्बा नं. 77/59 में कुल 6.0695 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि का 1/32 हिस्सा के राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम रोशनी पुत्र सुखाराम की जगह रेशमा देवी पुत्री सुखाराम संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादीया का नाम रोशनी पुत्र सुखाराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का वादीया का नाम रोशनी पुत्र सुखाराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीया का नाम रोशनी पुत्र सुखाराम ही लागू होगा। अगर उक्त संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादीया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक नियमानुसार पालना/अमलदरामद करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)